## कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

### अवधि 1.4.16 से 31.3.17

### भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

**(क)** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन विकास एवं विनियमन अधिनियम 2005 की धारा 48 (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्याः 1–487/99–1–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.1.2000 के दृष्टिगत कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वांकेंक्षण के आधार पर किया गया।

**(ख) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत्त रहेः–**

| क्र0सं0 | पदाधिकारी का नाम व पदनाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री यूपेन्द्र कान्त मिश्रा, अध्यक्ष | 01.04.16 से 31.03.17 |
| 2 | श्री सुशील गुलेरिया, सचिव | 01.04.16 से 24.12.16 |
| 3 | श्री राघव सूद, सचिव | 30.12.16 से 31.03.17 |

**(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्रमांक | विवरण | पैरा सं0 | राशि (₹लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष | 7 | 26.65 |
| 2 | मण्डी शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष | 8 | 4.41 |
| 3 | लाईसैन्सधारी आलू व्यापारियों से दिनांक 31.3.2017 तक मण्डी शुल्क की वसूली शेष | 9 | 5.05 |
| 4 | लाहौल पोटेटो सोसाईटी से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना | 10 | 0.78 |
| 5 | उप मण्डी भून्तर में प्राप्त मण्डी शुल्क को बैंक में कम जमा करवाना | 11 | 0.10 |
| 6 | उप मण्डी बन्जार में प्राप्त मण्डी शुल्क को बैंक में कम जमा करवाना | 12 | 0.10 |
| 7 | उप मण्डी बन्जार में मण्डी शुल्क की कम वसूली करना | 13 | 0.09 |
| 8 | विभिन्न बिलों में से स्थल पर की गई कटौती | 18 | 0.43 |

**(घ) मण्डी समिति की आय व व्यय के स्त्रोत निम्न प्रकार से हैः–**

**1 आयः–**

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू को वर्ष 2016–17 में सामान्यतः निम्नलिखित मदों से आय प्राप्त हुईः–

**(i)** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

**(ii)** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 43 (3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

**(iii)** मण्डी समिति के विभिन्न निकायों में गैर लाईसैन्सधारी व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों से मण्डी शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त आय।

**(iv)** मण्डी समिति के विभिन्न फर्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

**(v)** मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय।

**(vi)** मण्डी समिति कुल्लू परिसर में निर्मित पार्किंग की फीस के रूप में प्राप्त आय।

**(vii)** मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश कीगई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

**(viii)** अन्य विविध आय।

**2 व्ययः–**

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू को वर्ष 2016–17 के दौरान सामान्यतः निम्नलिखित मदों से व्यय किया गयाः–

**(i)** वेतन, मानदेय, मजदूरी अन्य विभिन्न भत्तों पर तथा कार्यालय मदों पर व्यय।

**(ii)** कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते इत्यादि पर व्यय।

**(iii)** कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

**(iv)** कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

**(v)** मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

**(vi)** डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यय।

**(vii)** हिमाचल प्रदेश सरकार को देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

**(viii)** हिमाचल प्रदेंश कृषि एवं औद्योनिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 49 (3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में संलिप्त व्यय।

**(ix)** कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

**(x)** अन्य विविध व्यय।

**(ङ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

## भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षणः–

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण, श्रीमती इन्दिरा भल्ला, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा पूर्वाकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज समिति के कुल्लू स्थित कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा उपलब्ध की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करने के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

## 3 अंकेक्षण शुल्कः–

कृषि उपज समिति कुल्लू के वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹904421 आंका गया। मण्डी समिति द्वारा यह राशि चैक संख्याः 388455 (पीएनबी) दिनांक 01.07.2017 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित की जा चुकी है।

## 4 वित्तीय स्थितिः—

**(क)** कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई, मण्डी समिति कुल्लू की वर्ष 2016—17 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

| | |
|---|---:|
| आरम्भिक शेष | 97828413.31 |
| वर्ष में प्राप्तियाँ (गत वर्षों के समायोजन सहित) | 61253940.52 |
| | 159082353.83 |
| वर्ष में भुगतान (गत वर्षों के समायोजन सहित) | 33997780.80 |
| रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष | 125084573.03 |

**(ख)** बैंकों में जमा तथा हस्तगत राशि के अन्तशेष का विवरण

| | |
|---|---:|
| **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशि | 89767289.00 |
| **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार बचत खातों में जमा राशि | 35438119.03 |
| हस्तगत राशि | 250.00 |
| **कुल योग** | **125205658.03** |
| रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष | 125084573.03 |
| अन्तर की राशि | 121085.00 |

**(घ) बैंक समाधान विवरणिकाः—**

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति कुल्लू द्वारा संचालित विभिन्न बैंकों की दिनांक 31.3.2017 की बैंक समाधान विवरणिका का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है। इन बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाई गई (+) और (—) की राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

| **क्र0सं0** | **बैंक का नाम/खाता सं0** | **(+) राशियों का ववरण** |
|---|---|---:|
| 1 | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 2517 | (+)30092 |
| 2 | पी0एन0बी0 कुल्लू खाता सं0 886 | (+)90993 |
| | कुल योग | 121085 |
| | (—) राशियो का विवरण | शून्य |
| | अन्तर की शुद्ध राशि | 121085 |

**5 सावधि जमा योजना में निवेशः–**

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा दिनाँक 31.3.17 तक ₹89767289 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है ।

**6 मण्डी समिति निधि के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन बारेः–**

वर्ष 2016–17 के बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातों में दिनाँक 31.3.2017 तक ₹35438119.03 जमा था, जिनका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके बचत खातों में आवश्यकतानुसार ही राशि रखकर शेष उचित राशि का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया जाए ताकि इस पर अधिकतम ब्याज प्राप्त करके विपणन समिति की आय को बढ़ाया जा सके।

**7 दुकानों के किराए के रूप में ₹26.65 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

कृषि उपज मण्डी समिति के माँग तथा संग्रह रजिस्टर (Demand & Collection) तथा अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ङ" (i से vi)** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराए के रूप में ₹2665318 की वसूली शेष थी।

**विगत वर्षों में विभिन्न आबंटियों से वसूली हेतु शेष किराए का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–**

| **क्र0सं0** | **तिथि जिस दिन किराए की वसूली शेष थी** | **वसूली योग्य किराए की राशि** |
|---|---|---|
| 1 | 31.3.2005 | 149945 |
| 2 | 31.3.2006 | 585175 |
| 3 | 31.3.2007 | 892936 |
| 4 | 31.3.2008 | 850527 |
| 5 | 31.3.2009 | 820427 |
| 6 | 31.3.2010 | 836324 |
| 7 | 31.3.2011 | 1064816 |
| 8 | 31.3.2012 | 1689485 |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 31.3.2013 | 1996748 |
| 10 | 31.3.2014 | 1950896 |
| 11 | 31.3.2015 | 2065403 |
| 12 | 31.3.2016 | 2445741 |

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली बारे कृषि उपज मण्डी समिति के गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार उठाई जा रही है, किन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है अपितु लम्बित किराए की राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी ही हुई है जैसा कि उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है। अतः उक्त लम्बित किराए की शेष राशि की शीघ्र वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी दुकानों के आबटियों से निर्धारित समय पर किराए की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

## 8 मण्डी शुल्क ₹4.41 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की विभिन्न उप मण्डियों के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों एवं "ओ" फार्मों की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि विभिन्न लाईसैन्स धारी व्यापारियों से दिनांक 31.3.2017 तक यथा **परिशिष्ट "च i से v"** पर दिए गए विवरणानुसार मण्डी शुल्क ₹440696 की वसूली शेष थी। उक्त लम्बित वसूली के कारण जहां एक ओर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को ब्याज के रूप में भी हानि उठानी पड़ रही है जोकि समिति के हित में नही है। अतः इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट निदेंशों के अन्तर्गत वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

## 9 लाईसैन्स धारी आलू व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹5.05 लाख की वसूली शेषः—

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैन्सधारी आलू व्यापारियों से देय शुल्क की जाँच में पाया गया कि आलू व्यापारियों से दिनांक 31.3.2017 को निम्नानुसार मण्डी शुल्क के रूप में ₹504773 वसूली हेतु शेष थी। अतः इसकी वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 75(1)ए के अन्तर्गत शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की बकाया राशि पर देय ब्याज की सम्भावित हानि से बचाया जा सके तथा भविष्य में भी मण्डी

शुल्क जिस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित है, उसी वित्तीय वर्ष में उसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | फर्म का नाम | पिछला बकाया | वर्ष 2016–17 में देय राशि | कुल राशि | प्राप्त राशि | 31.3.2017 तक बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै0 हरि सिंह ठाकुर | 304692 | 448583 | 753275 | 644692 | 108583 |
| 2 | मै0 सुशील कुमार एण्ड सन्ज | 238530 | 355874 | 594404 | 498530 | 95874 |
| 3 | मै0 भगवान सिंह एण्ड कम्पनी | 228607 | 300316 | 528923 | 228607 | 300316 |
| | | **771829** | **1104773** | **1876602** | **1371829** | **504773** |

## 10 लाहौल पोटेटों सोसायटी से मण्डी शुल्क के रूप में ₹0.78 लाख की वसूली शेषः–

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैन्स धारी लाहौल पोटेटो ग्रोवर को–ओपरेटिव सोसाईटी की वर्ष 2016–17 की नस्तियों में संलग्न "ओ" फार्मों तथा रिटर्न की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 तक उनसे निम्न विवरणानुसार ₹77782 की मण्डी शुल्क वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली नियमानुसार अतिशीघ्र की जाए तथा भविष्य में भी मण्डी शुल्क की समय पर नियमानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

| फर्म का नाम | पिछला बकाया | वर्ष 2016–17 में देय राशि | कुल राशि | प्राप्त राशि | 31.3.17 तक बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| एल0पी0एस0 | 389895 | 156671 | 546566 | 468784 | 77782 |

## 11 उप मण्डी भून्तर में प्राप्त मण्डी शुल्क ₹0.10 लाख को बैंक में कम जमा करवाया जानाः–

उप मण्डी भून्तर की वर्ष 2016–17 की आय की जाँच में पाया गया कि विभिन्न रसीदों द्वारा प्राप्त की गई आय ₹136355 में से ₹126750 ही बैंक में जमा करवाए गए हैं तथा ₹9605 जमा नहीं करवाए गए जो कि एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस राशि के

गबन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः कम जमा की गई राशि को सम्बन्धित मण्डी प्रभारी से दण्ड ब्याज सहित वसूली करने के उपरान्त इसे रोकड़ बही में दर्ज करने के उपरान्त बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अधीनस्थ कार्यरत्त कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना सुनिश्चित किया जाए। कम जमा की गई राशियो का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **क्र0सं0** | **रसीद सं0/दिनांक** | **मण्डी शुल्क की वास्तविक राशि जो बैंक में जमा की जानी थी** | **बैंक में जमा की गई राशि** | **कम जमा की गई राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0348965/10.11.16 | 2400 | 2000 | 400 |
| 2 | 0348970 से 0348973 दिनांक 14.11.16 तथा 23.11.16 | 51410 | 50820 | 590 |
| 3 | 0348978 से 0348981 दिनांक 30.11.16 | 33710 | 27000 | 6710 |
| 4 | 0348984 से 0348988 9.12.16, 15.12.16, 20.12.16 तथा 26.12.16 | 33780 | 32780 | 1000 |
| 5 | 0354902 से 0354931 3.3.17, 8.3.17, 9.3.17 तथा 23.3.17 | 15055 | 14150 | 905 |
| | | **136355** | **126750** | **9605** |

## 12 उप मण्डी बन्जार में प्राप्त मण्डी शुल्क ₹0.10 लाख को बैंक में कम जमा करवाया जानाः–

उप मण्डी बन्जार की वर्ष 2016–17 की आय की जाँच में पाया गया कि विभिन्न रसीदों द्वारा प्राप्त की गई आय ₹108141 में से ₹98140 ही बैंक में जमा करवाए गए हैं तथा ₹10001 बैंक में जमा नहीं करवाए गए हैं जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस राशि के गबन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः कम जमा की गई राशि को सम्बन्धित से दण्ड ब्याज सहित वसूली करने के उपरान्त बैंक मे जमा करवाया जाना

सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत्त कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जा सके। कम जमा की गई राशियों का विवरण इस प्रकार हैः–

| **रसीद संख्या/दिनांक** | **मण्डी शुल्क की वास्तविक राशि जोकि बैंक में जमा की जानी थी** | **बैंक में की गई राशि** | **कम जमा की गई राशि** |
|---|---|---|---|
| 348862 से 348878 19.8.16, 29.8.16 तथा 30.8.16 | 108141 | 98140 | 10001 |

## 13 उप मण्डी बन्जार में लाईसैन्सधारी व्यापारी से मण्डी शुल्क ₹0.09 लाख की वसूली न करने बारेः–

उप मण्डी बन्जार की वर्ष 2016–17 की आय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मै0 तीर्थन फ्रूट कम्पनी, बन्जार के अवधि 22.4.2016 से 28.6.2016 तक के व्यापार से सम्बन्धित "ओ" फार्म संख्या 15681 से 15692 तक ₹60175 की वसूली की गई दर्शाई गई है, जबकि वास्तव में "ओ" फार्म संख्या 15681 में अंकित ₹8524 की वसूली ही नहीं की गई है। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित व्यापारी से वसूल करके बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली करते समय "ओ" फार्मों को सही प्रकार से जाँच करके ही मण्डी शुल्क की वसूली की जाए ताकि मण्डी शुल्क की कम वसूली होने के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि से बचाया जा सके।

## 14 उप मण्डी भून्तर के वर्ष 2016–17 में अधिकतर लाईसैन्स धारी व्यापारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाने बारे

उप मण्डी भून्तर की वर्ष 2016–17 जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न लाईसैन्स धारी व्यापारियों का व्यापार शून्य दर्शा कर मण्डी शुल्क की वसूली नहीं की गई है। जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट "छ"** पर दिया गया है।

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण की उचित छानबीन करके वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

## 15 उप मण्डी भून्तर, पतलीकूहल व खेगसू के लाईसैन्सधारी व्यापारियो के मण्डी शुल्क अभिलेख से "ओ" फार्मों का गायब पाया जानाः–

उप मण्डी भून्तर, पतलीकूहल तथा खेगसू की वर्ष 2016–17 की आय से सम्बन्धित लैजर की जाँच के दौरान पाया गया कि इन मण्डियों के विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों को जारी किए गए क्रमवार "ओ" फामों में से अनेक "ओ" फार्म सम्बन्धित नस्तियों से गायब पाये गये है। स्वाभाविक है कि इन "ओ" फार्मों की मण्डी शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि इन मण्डियों में तैनात कर्मचारी अभिलेखों के रख–रखाव तथा मण्डी शुल्क की वसूली करने में तत्पर नहीं है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवही हेतु उच्च्य अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

नस्तियों से गायब पाए गए "ओ" फार्मों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| | **क्र0सं0** | **फर्म का नाम** | **ओ फार्म सं0 जो नस्ति से गायब पाए गए** |
|---|---|---|---|
| उप मण्डी भून्तर | 1 | मै0 ओम फ्रूट कम्पनी | 202925 से 202927 |
| | 2 | मै0 रोपान–फ्रूट कम्पनी | 221423, 221409 से 221413, 241419 से 221422 |
| | 3 | मै0 रजत फ्रूट कम्पनी। | 1945 से 2000 |
| | 4 | मै0 नितिन फ्रूट कम्पनी। | 190345 |
| | 5 | मै0 रिशी फ्रूट कम्पनी। | 202706 से 202710 |
| | 6 | मै0 निर्मल फ्रूट कम्पनी । | 190442 |
| | 7 | मै0 शिव शक्ति एग्रो। | 184467 से 184468 |
| | 8 | मै0 देव भूमि फ्रूट कम्पनी। | 18581 से 18587 |
| | 9 | मै0 सिन्धू सागर फ्रूट कम्पनी। | 190271 से 190273 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| उप मण्डी पतलीकूहल | 1 | मै0 अनीशा फ्रूट कम्पनी | 241355 |
| | 2 | मै0 कुन्ज लाल ठाकुर फ्रूट एण्ड वेजीटेबल इवैन्ट | 241954 |
| | 3 | मै0 शिव शक्ति फ्रूट ट्रेडर्ज। | 182210 |
| उप मण्डी खेगसू | 1 | मै0 मोहिन्द्र फ्रूट कम्पनी | 228009 से 208010 |

**16 हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना वाहन को समिति के कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने के सन्दर्भ में:–**

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की वर्ष 2016–17 की वाहन संख्या एच0पी0–35–5151 की लॉग बुक की जाँच पर पाया गया कि कार्यालय वाहन को मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा अपने कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर अनेक बार ले जाया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर संलग्न है जो कि सरकारी वाहनों के रख–रखाव तथा प्रयोग सम्बन्धी नियम 39 की सरासर अवहेलना है। अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15 में इस सम्बन्ध में आपत्ति जताई थी लेकिन मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई अपितु न तो यात्रा से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई न ही यात्रा के बाद कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जिसे अब प्राप्त करके सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा इस यात्रा को निजी यात्रा मानकर सम्बन्धित से इसकी वसूली की जाए।

**17 निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु भुगतान राशि ₹101.51 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:–**

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति द्वारा वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला को ₹10150991 का भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करवाई गई ₹10150991 की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिन्हें अतिशीघ्र विपणन बोर्ड शिमला से प्राप्त करके

अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाए। इसके अतिरिक्त उक्त राशि के समर्थन में विपणन बोर्ड से समाधान प्रमाण पत्र (Reconcilation Certificate) भी प्राप्त करें।

**18 विभिन्न बिलों में से स्थल पर ₹0.43 लाख की कटौती (Retrenchment) बारे:–**

वर्ष 2016–17 में निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्वाकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की जाँच पड़ताल करने पर अंकेक्षण द्वारा ₹42829 की स्थल पर ही कटौती की गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करके पूर्वाकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों को सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके। स्थल पर की गई कटौती का विवरण यथा **परिशिष्ट "ञ"** पर दिया गया है।

**19 लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाऐं:–**

वर्ष 2016–17 के दौरान अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अंकेक्षण अधियाचनाऐं निपटारे हेतु शेष हैः–

1 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43 दिनांक 12.4.2016

2 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118 दिनांक 28.10.2016

3 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 124 दिनांक 16.11.2016

4 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125 दिनांक 16.11.2016

5 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126 दिनांक 16.11.2016

6 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 153 दिनांक 27.01.2017

7 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 154 दिनांक 27.01.2017

8 अंकेक्षण अधियाचना संख्या 156 दिनांक 28.01.2017

अतः उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ साथ गत वर्षों की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

21 **निष्कर्षः–** मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लेखाओं के रख–रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में तथा अंकेक्षण में अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में मण्डी समिति की गतिशीलता नगण्य है, जिस कारण जहां अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है। अतः लेखों में सुधार के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख भी यथासमय अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)79/84 खण्ड–10–8260–8263 दिनांक, 18.12.18 शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृतः 1 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खलीनी, शिमला–171002

3 विशेष सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना विपणन समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट–''क''                    (पैरा 1 (ङ) के सन्दर्भ में)

**गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित अनिर्णीत पैरों का विवरण**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1977 से 3/1983**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 5(बी) | निर्णीत | ₹4.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे | दिनांक 31.3.2018 को उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित नस्ति के पृष्ठ संख्या 58 पर देख लिए गए है। |
| 2. | पैरा 5(सी) | निर्णीत | ₹1.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे | दिनांक 31.3.2018 को उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित नस्ति के पृष्ठ संख्या 50 पर देख लिए गए है। |
| 3. | पैरा 6(ii) | निर्णीत दिनांक 28.7.18 | लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे | मण्डी समिति लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी को पानी बिजली एवं ग्रांउण्ड की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन खर्चों को समायोजित करने हेतु सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से ही बिजली पानी के खर्चों की कटौती कर दी थी क्योंकि बिजली व पानी के बिल समय पर जमा करवाने पड़ते है। इसलिए सोसाईटी द्वारा अपने स्त्तर पर ही बिल जमा करवा दिए थे। सोसईटी को मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती न करने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है तथा वर्तमान में सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से खर्चो की कटौती नहीं की जा रही है। |
| 4. | पैरा 6(iii) | निर्णीत | मण्डी शुल्क न लिए जाने बारे | मण्डी समिति का गठन वर्ष 1977 में हुआ था। कुल्लू में अनाज व दालों की पैदावार के बराबर होती है तथा यह वस्तुएं बाहरी राज्यों से आयात की जाती है। शुरूआती दौर में अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाया था जिस कारण सभी अधिसूचित कृषि उत्पादो पर मण्डी शुल्क प्राप्त नहीं हो पाया था। |
| 5. | पैरा 6(iv) | निर्णीत | लाईसैंसधारियों द्वारा क्रय विक्रय का दैनिक विवरण फार्म ''एम'' मे न भरने बारे | लाईसैंसधारियों का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही वर्तमान में फर्में अस्तित्व में है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | पैरा 6(v) | अनिर्णीत | बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे | |
| 7. | पैरा 9(ii) | अनिर्णीत | पेड़ों की नीलामी से हानि बारे | |
| 8. | पैरा 9(ए से एच) | निर्णीत | अस्थाई बिजली फिटिंग का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति एवं टैडर से करने बारे तथा अनियमित भुगतान इत्यादि के मामलों के बारे में | लाहौल में तैयार बीज आलू की ग्रेडिंग एवं श्रेणीकरण च्यौरी बिहाल में किया जाता था लाहैल घाटी के आलू उत्पादकों को ग्रेडिंग हेतु बिजली की तत्काल सुविधा उपलब्ध करवाना जरूरी था। समय से अभाव में बाजार से निविदाऐं एकत्रित करने उपरान्त न्यूनतम दर पर फर्म को भुगतान किया गया। भविष्य मे औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्य किय जा रहा है। |
| 9. | पैरा 9(vi) | अनिर्णीत | सात लकड़ी के खोखों की खरीद बिना बजट प्रावधान व बिना स्वीकृति के करना | |
| 10. | पैरा 13(v) | निर्णीत | आलू ग्राऊंड को समतल करवाने से सम्बन्धित व्यय रिकॉर्ड सहित अंकेक्षण को न दर्शाने बारे | ग्राउण्ड समतल करने के लिए टैंण्डर के माध्यम से निविदायें प्राप्त की गई जिसमें श्री मदन लाल सरकारी ठेकेदार की दर न्यूनतम पाई गई। उपरोक्त कार्य करवाने हेतु विपणन बोर्ड के पत्र संख्या एच0एम0बी0–4–3/76 भाग–2–225 दिनांक 6 मई 1981 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई। कार्य के पूर्ण होने तथा पेमाईश सम्बन्धी दस्तावेज देख दिए गए है। |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1984**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 5(सी) (i, ii, iii, iv) | निर्णीत | लाहौल पोटैटो सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के खर्च की कटौती बारे | मण्डी समिति लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी को पानी बिजली एवं ग्राउण्ड की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन खर्चों को समायोजित करने हेतु सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से ही बिजली पानी के खर्चों की कटौती कर दी थी क्योंकि बिजली व पानी के बिल समय पर जमा करवाने पड़ते है। इसलिए सोसाईटी द्वारा अपने स्त्तर पर ही बिल जमा करवा दिये थे। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | सोसाईटी को मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती न करने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है तथा वर्तमान में सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती नहीं की जा रही है। |
| 2. | पैरा 5(ई) | निर्णीत | सेब व पलम पर मण्डी शुल्क न लेने बारे | मण्डी समिति कुल्लू की केवल एक ही मण्डी च्यौरीबिहाल में थी जिसमें सिर्फ आलू की ही आवक थी सेब व प्लम बागवानों द्वारा स्वयं बाहरी मण्डियों में बेचा जाता था। |
| 3. | पैरा 5(एफ) | निर्णीत | बिना लाईसैंस व मण्डी शुल्क लेने से कमेटी को हानि बारे | मण्डी समिति का गठन वर्ष 1977 में हुआ था। शुरूआती दौर में अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाया था जिस कारण सभी अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क प्राप्त नहीं हो पाया था। |
| 4. | पैरा 10(बी) | निर्णीत | अंकेक्षण को 6 दुकानों के निर्माण कार्य के बारे में रिकॉर्ड न दिखाना | अंकेक्षण को ₹34115.55 के भुगतान से सम्बन्धित एम0बी0 नं0–11042 दिखा दी गई है। |
| 5. | पैरा 10(सी) | अनिर्णीत | अंकेक्षण को ग्राऊंड को समतल करवाने सम्बन्धी कार्य के भुगतान का रिकॉर्ड न दिखाना | भुगतान सम्बन्धी दस्तावेज अंकेक्षण को दिखा दिए गए है। |
| **(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985** | | | | |
| 1. | पैरा 5(i) | अनिर्णीत | 29 व्यापारियों (Dealers) लाईसैंसधारियों द्वारा एम फार्म में रिटर्न जमा न करवाना | |
| 2. | पैरा 5(ii) | अनिर्णीत | मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा आलू के बीज के 1172 बैग के मण्डी शुल्क की रिटर्न न भरने बारे | |
| 3. | पैरा 5(iii)(बी) (2, 4, 5) | अनिर्णीत | मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे | |
| 4. | पैरा 5 (i, ii, iii, iv) | अनिर्णीत | शनाग को0आ0 सोसाईटी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | पैरा 5(v) | निर्णीत | मैसर्ज़ लाहौल आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे | मण्डी समिति लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी को पानी बिजली एवं ग्राउण्ड की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन खर्चों को समायोजित करने हेतु सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से ही बिजली पानी के खर्चों की कटौती कर दी थी क्योंकि बिजली व पानी के बिल समय पर जमा करवाने पड़ते है। इसलिए सोसाईटी द्वारा अपने स्तर पर ही बिल जमा करवा दिये थे। सोसाईटी को मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती न करने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है तथा वर्तमान में सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती नहीं की जा रही है। |
| 6. | पैरा 8 | अनिर्णीत | चौरी विहाल की दुकान/बूथ के किराये बारे | |
| 7. | पैरा 9 | अनिर्णीत | पत्थरों की नीलामी से हानि बारे | |
| 8. | पैरा 11(1) | अनिर्णीत | अनियमित भुगतान बारे | |
| 9. | पैरा 12(बी) | अनिर्णीत | कुल्लू में 6 दुकानों के निर्माण कार्य के रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना | |
| 10. | पैरा 13(ii) | अनिर्णीत | लाईसैंसधारियों से स्टोरेज चार्जिज न लिए जाने से कमेटी को हानि बारे | |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1987**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 5 | निर्णीत | ग्रांट की बकाया ₹40,953 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना | दिनांक 31.3.2018 को उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित नस्ति के पृष्ठ संख्या 93 पर देख लिए गए है। |
| 2. | पैरा 6(ए) | निर्णीत | लाहौल पौटेटो को0आ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे | मण्डी समिति लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी को पानी बिजली एवं ग्राउण्ड की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन खर्चों को समायोजित करने हेतु सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से ही बिजली |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | पानी के खर्चों की कटौती कर दी थी क्योंकि बिजली व पानी के बिल समय पर जमा करवाने पड़ते है। इसलिए सोसाईटी द्वारा अपने स्त्तर पर ही बिल करवा दिए थे। सोसाईटी को मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती न करने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है तथा वर्तमान से सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती नहीं की जा रही है। |
| 3. | पैरा 6(बी) | निर्णीत | मैसर्ज़ हरी सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति से मण्डी शुल्क में खर्च की कटौती बारे | मण्डी समिति लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी को पानी बिजली एवं ग्राउण्ड की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन खर्चों को समायोजित करने हेतु सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से ही बिजली पानी के खर्चों की कटौती कर दी थी क्योंकि बिजली व पानी के बिल समय पर जमा करवाने पड़ते है। इसलिए सोसाईटी द्वारा अपने स्त्तर पर ही बिल करवा दिए थे। सोसाईटी को मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती न करने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है तथा वर्तमान से सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती नहीं की जा रही है। |
| 4. | पैरा 6(सी) | निर्णीत | मैं0 मनाली आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे | मण्डी समिति लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी को पानी बिजली एवं ग्राउण्ड की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन खर्चों को समायोजित करने हेतु सोसाईटी द्वारा मण्डी शुल्क में से ही बिजली पानी के खर्चों की कटौती कर दी थी क्योंकि बिजली व पानी के बिल समय पर जमा करवाने पड़ते है। इसलिए सोसाईटी द्वारा अपने स्त्तर पर ही बिल करवा दिए थे। सोसाईटी को मण्डी शुल्क में से खर्चों की कटौती न करने बारे निर्देश जारी कर दिए गए है तथा वर्तमान से सोसाईटी द्वारा मण्डी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | शुल्क में से खर्चों की कटौती नहीं की जा रही है। |
| 5. | पैरा 6(डी) | अनिर्णीत | मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹21,666 की वसूली बारे | |
| 6. | पैरा 9 | अनिर्णीत | निर्माण कार्य मार्किट यार्ड बहांग में 14 दुकानों का कार्य अधूरा होने बारे | |

**(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 12 | अनिर्णीत | निर्माण कार्य का भुगतान अंकेक्षण को न दिखाना | |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 10(1) | अनिर्णीत | दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी दरों से अधिक दरों पर किया गया भुगतान | |
| 2. | पैरा 10(2) | अनिर्णीत | निर्माण कार्य हेतु खरीदे गए सामान का सही रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना | |
| 3. | पैरा 10(3) | अनिर्णीत | विश्राम गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेने बारे | |
| 4. | पैरा 10(5) | अनिर्णीत | चेयर मैन/अधिकारी विपणन बोर्ड/समिति कुल्लू द्वारा टैक्सी के प्रयोग के भुगतान बारे | |
| 5. | पैरा 10(7) | अनिर्णीत | मोटर साईकल पर पैट्रोल की खरीद पर व्यय बारे | |
| 6. | पैरा 10(12) | अनिर्णीत | ठेकेदारों को धरोहर राशि की वापसी बारे | |
| 7. | पैरा 10(15) | निर्णीत | ग्रेच्युटी व अवकाश वेतन की जाँच हेतु अंकेक्षण में सेवा पुस्तिका प्रस्तुत न करना | सेवा पुस्तिका दिखा दी गई |
| 8. | पैरा 10(17) | अनिर्णीत | फार्म ''एम'' जारी किए गए परन्तु मण्डी समिति में जमा नहीं किए गए | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | पैरा 11 | अनिर्णीत | निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 11 | अनिर्णीत | निर्माण कार्य के एवज़ में हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे |

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 13 | अनिर्णीत | निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से प्राप्त न करने बारे |
| 2. | पैरा 14 | अनिर्णीत | सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना |
| 3. | पैरा 15(क) | अनिर्णीत | टैक्सी द्वारा यात्रा का विवरण बिल में न दर्शाना |
| 4. | पैरा 15(ख) | अनिर्णीत | बजट से अधिक खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति न दिखाना |
| 5. | पैरा 17 | अनिर्णीत | मण्डी शुल्क से सम्बन्धित फार्म ''एम'' पर रिटर्न का न भरना |

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 7 | अनिर्णीत | अध्यक्ष को घर से कार्यालय तक यात्रा भत्ता दैनिकी इत्यादि पर ₹2,57,800 का गलत भुगतान |
| 2. | पैरा 14 | अनिर्णीत | सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना |
| 3. | पैरा 18 | अनिर्णीत | मार्किट यार्ड चौरी विहाल सब्जी मण्डी की |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | रसीद बुक का सत्यापन न होना | |

**(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 12 | अनिर्णीत | निर्माण कार्य से सम्बन्धित मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र न दर्शाना | |
| 2. | पैरा 18 (1 से 6) | अनिर्णीत | रसीद बुकों के सारे पैसों को जमा न करके रद्द करने बारे | |

**(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 12(2) | अनिर्णीत | उप–सब्जी मण्डी कुल्लू व उप–सब्जी मण्डी चौरी विहाल के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना | |
| 2. | पैरा 13 | अनिर्णीत | उप सब्जी मण्डी पतलीकूहल में आबंटित स्टॉलों/बूथों का किराया न वसूलने बारे | |
| 3. | पैरा 14(2) | अनिर्णीत | मॉर्डन (डवकमतद) फ्रूट कम्पनी द्वारा आलू के 775 बैग से सम्बन्धित मण्डी शुल्क व फार्म ''एम'' रिटर्न न भरने बारे | |
| 4. | पैरा 14(4) | अनिर्णीत | मण्डी शुल्क से किराए की कटौती बारे | |
| 5. | पैरा 17(2) | अनिर्णीत | लाईसैंसधारियों से मण्डी शुल्क की वसूली बारे | |

**(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 7 (1 से 6) | निर्णीत | ₹17,54,813 के डिपाजिट / निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड से लेकर न दर्शाने बारे | उपयोगिता प्रमाण–पत्र देख लिए गए है। पत्र संख्या एचएमबी–ईसी–यूसी–9613 दिनांक 03.08.2007 |
| 2. | पैरा 10(ख) | अनिर्णीत | हाप्स पर मण्डी शुल्क न लेने से ₹48,135 की मण्डी शुल्क की हानि | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | बारे |
| 3. | पैरा 11(क) | अनिर्णीत | उप–सब्जी मण्डी कुल्लू के अवधि 2005–06 व 2006–07 की रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना |
| 4. | पैरा 11(ग) | अनिर्णीत | जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की रिटर्न (अवधि 2005–06, 2006–07) का फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना |
| 5. | पैरा 12(1, 2, 3) | अनिर्णीत | बिजली के बिलों में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण में न बताने बारे |
| 6. | पैरा 15(3) | अनिर्णीत | चल–अचल सम्पति रजिस्टर तैयार न करने बारे |

**(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 7(ग)(2) | अनिर्णीत | मण्डी शुल्क से ₹5,06,405 का व्यय विभिन्न वर्षों में बिना कमेटी की स्वीकृति के करने बारे |
| 2. | पैरा 7(घ) | अनिर्णीत | मण्डी समिति कुल्लू द्वारा बिना लाईसैंसधारियों से ₹41,931 की मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे |
| 3. | पैरा 8(क) | अनिर्णीत | उप सब्जी मण्डी कुल्लू के वर्ष 2005–06, 2006–07 व 2007–08 के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना |
| 4. | पैरा 8(ख) | अनिर्णीत | जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली बारे |

**(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 4(ग)(2) | अनिर्णीत | देय मण्डी शुल्क की राशि में से व्यय के रूप में की गई कटौती की |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | राशि के अनुमोदन बारे | |
| 2. | पैरा 4(ग)(3) | निर्णीत | लाहौल पोटेटो को0आ0 सोसाईटी से मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे | वित्तीय वर्ष 2009—10 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित |
| 3. | पैरा 5 | निर्णीत | विभिन्न उप मार्किट यार्डों में अवधि 31.03. 2008 तक की बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे | पैरा पुनः प्रारूपित |
| 4. | पैरा 8 | अनिर्णीत | दुकानों के इकरारनामें लेखा परीक्षा को नहीं दर्शाने बारे | |
| 5. | पैरा 10 | अनिर्णीत | लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बधित अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करने बारे | |
| 6. | पैरा 11 | अनिर्णीत | दुकानों के इकरारनामों/लीजडीड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे | |
| 7. | पैरा 12 | अनिर्णीत | लाईसैंसों का नियमानुसार पंजीकरण न करना | |
| 8. | पैरा 13(1) | अनिर्णीत | विभिन्न बैरियरों पर जारी किए गए रजिस्टरों व इनवैन्ट्री रजिस्टर बारे | |
| 9. | पैरा 13(2) | अनिर्णीत | फार्म ''ओ'' के सत्यापन बारे | |

**(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 6(ग)(2) | अनिर्णीत | बिना कमेटी की स्वीकृति से मण्डी शुल्क की देय राशि से बिजली बिलों पर व्यय की कटौती बारे | |
| 2. | पैरा 7 | निर्णीत | लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 द्वारा समय पर मण्डी शुल्क की राशि जमा न करवाने पर हुई ब्याज की राशि की हानि बारे | वित्तीय वर्ष 2010—11 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित |
| 3. | पैरा 8 | अनिर्णीत | विभिन्न जारी किए गए फार्मों की बिक्री से हुई प्राप्त राशि के जमा बारे | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | पैरा 10 | निर्णीत | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे | उपयोगिता प्रमाण पत्र जन स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या आई0पी0एच0 –आई0 डी0 के0 –11–एबीयूसी–2011/13711 दिनांक 23.01.2012 द्वारा देखी लिया है। |
| 5. | पैरा 11 | अनिर्णीत | लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने बारे | |
| 6. | पैरा 12 | अनिर्णीत | स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना | |

**(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 9 | अनिर्णीत | संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत अवधि 31.03.2011 तक भुगतान की गई ₹83,758 की दूसरी विपणन समितियों से भरपाई करने बारे | |
| 2. | पैरा 10 | अनिर्णीत | ₹1,26,02,034 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे | |
| 3. | पैरा 11 | अनिर्णीत | सब मार्किट यार्ड बन्दरोल में उगे पौधों की लागत ₹3,58,730 का भुगतान वन मण्डलाधिकारी कुल्लू को करने बारे | |
| 4. | पैरा 12 | अनिर्णीत | विपणन समिति कुल्लू द्वारा विभिन्न सब मार्किट यार्डों में आबंटित दुकानों के एग्रीमेन्ट को लेखा परीक्षा में न दर्शाने बारे | |
| 5. | पैरा 13 | अनिर्णीत | लाईसैन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण न करना | |
| 6. | पैरा 14 | अनिर्णीत | देय दुकानों के किराये की ₹4,75,200 की कम वसूली बारे | |

**(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 5(ख) | अनिर्णीत | मण्डी समिति कार्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को वन निगम के नाम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक कुल्लू में गिरवी रखना | |
| 2. | पैरा 5(ग) | अनिर्णीत | बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने पर ब्याज की हानि | |
| 3. | पैरा 6 | निर्णीत | उप मण्डी भून्तर से प्राप्त आय की ₹1,09,073 को बैंक मे जमा न करवाया जाना | कुल राशि को तीन किश्तों में अर्थात ₹50500, ₹34325 तथा ₹24251 जमा करवा दिया है। बैंक विवरणिका देख ली गई है 29.6.2018 |
| 4. | पैरा 13 | अनिर्णीत | नाकाचौकी बजौरा, लुहरी तथा लारजी में लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹29,287 की कम वसूली करना | |
| 5. | पैरा 14 | अनिर्णीत | विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹9,19,666 की वसूली से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | |
| 6. | पैरा 15 | अनिर्णीत | उप मण्डी समिति कुल्लू के विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों की रसीद संख्या तथा दिनांक इत्यादि को सम्बन्धित लैजर में अंकित न करना | |
| 7. | पैरा 16 | अनिर्णीत | पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में कमी पाई जाना | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | पैरा 17 | अनिर्णीत | मार्किट यार्ड कुल्लू की आय से सम्बन्धित लैजर के रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे | |
| 9. | पैरा 18 | निर्णीत | डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना | उपयोगिता प्रमाण पत्र देंख लिए गए हैं पत्र संख्या एच0एम0बी0–ई0सी0 / यू0सी0–5565 दिनांक 28.07.2012 |

**(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2012 से 3 / 2013**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैरा 6 | अनिर्णीत | (बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने से ब्याज की हानि) | |
| 2 | पैरा 7 (क, ख, ग, घ, ड़, च, छ) | अनिर्णीत | (रोड़ड बही का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे) | |
| 3 | पैरा 10 | अनिर्णीत | (नाका चौकी बजौरा में कम्पाऊंड शुल्क में से ₹19,020 को बैक में कम जमा करवाने बारे) | |
| 4 | पैरा 11 | अनिर्णीत | (नाका चौकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंडश्शुल्क की राशि ₹42,105 की कम वसूली बारे) | |
| 5 | पैरा 12 | अनिर्णीत | (विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹3,19,118 से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे) | |
| 6 | पैरा 13 | अनिर्णीत | (विभिन्न मण्डियों में एक ही क्रम संख्या की रसीद पुस्तकों का प्रयोग किए जाने बारे) | |
| 7 | पैरा 14 | अनिर्णीत | (विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से वसूली मण्डी प्रांगण में न करने बारे) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | पैरा 15 | अनिर्णीत | (विभिन्न मण्डियों में वसूली गई फीस से सम्बन्धित दस्तावेज़ व्यापारियों की नस्तियों में न पाया जाना) | |
| 9 | पैरा 16 | अनिर्णीत | (विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों की नस्तियों में कुछ फार्मों का न पाया जाना) | |
| 10 | पैरा 17 | अनिर्णीत | (मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रसीदों का इन्द्राज सम्बन्धित लेजर में न करने बारे) | |
| 11 | पैरा 18 | अनिर्णीत | (डिपोजिट कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे) | |
| 12 | पैरा 19 | अनिर्णीत | (निजी प्रिंटिंग प्रैस से 10 रोकड़ बहियों को छपवाने बारे) | |
| 13 | पैरा 21 | अनिर्णीत | (लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाओं बारे) | |

**(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | निर्णीत | (बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि) | खातों की संख्या कम कर दी गई है |
| 2 | पैरा 7 | निर्णीत | (वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक बचत खातों की संख्या में अत्याधिक बढ़ौतरी) | सावधि जमा में निवेशित कर दी गई है |
| 3 | पैरा 10 | अनिर्णीत | (नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से ₹9520 का बैंक में कम जमा करना) | |
| 4 | पैरा 11 | अनिर्णीत | (नाका चौकी बजौरा में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹68145 की कम वसूली ) | |
| 5 | पैरा 12 | अनिर्णीत | (उप मण्डी भुन्तर में एक ही समय पर अनेक क्रम संख्या की कई रसीद | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | पुस्तकों का प्रयोग किया जाना) |
| 6 | पैरा 16 (क, ख) | अनिर्णीत | (विभिन्न मण्डियों से वसूले गए मण्डी शुल्क/सुविधा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही प्रकार से न किया जाना) |
| 7 | पैरा 17 (क से ङ) | अनिर्णीत | (रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित प्राप्ती एवं वितरण रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार नहीं ढ़ंग से न किया जाना) |
| 8 | पैरा 18 | अनिर्णीत | (मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आयकर विभाग को आयकर की ₹6881305 तथा जुर्माना की ₹30000 अर्थात कुल ₹6911305 का अनावश्यक भुगतान किए जाने बारे) |
| 9 | पैरा 19 | अनिर्णीत | (सेवा शुल्क के जुर्माने की ₹13265 का अनावश्यक भुगतान करने बारे) |
| 10 | पैरा 20 | अनिर्णीत | (डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹10180093 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना) |

**(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 6 | अनिर्णीत | (बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि) |
| 2 | पैरा 10 | अनिर्णीत | (विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों की नस्तियों में संलग्न क्रमवार ओ फार्मों में से अनेक ओ फार्मों का अनुपलब्ध होना) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | पैरा 11 | अनिर्णीत | (मण्डी शुल्क/सुविधा शुल्क तथा अन्य वसूलियों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही ढ़ंग से न किया जाना तथा अभिलेखों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना) | |
| 4 | पैरा 14 | अनिर्णीत | (कम्पाऊंड शुल्क की वसूली रसीद पुस्तकों में वस्तु का नाम मात्रा व मूल्य दर्शाए बिना ही प्राप्त करना) | |
| 5 | पैरा 15 | अनिर्णीत | (हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अनियमित तौर पर वाहन को कार्याधिकारी क्षेत्र से बाहर ले जाने के सन्दर्भ में) | |
| 6 | पैरा 16 | अनिर्णीत | (नाका चौकी बजौरा में रसीदों पर अंकित वास्तविक राशि पर Over Writing (ऊपर से लिखना) करके अन्य राशि का लिखा जाना | |
| 7 | पैरा 17 | अनिर्णीत | (डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹120.44 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना) | |
| **(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016** | | | | |
| **1** | पैरा 6 | अनिर्णीत | मण्डी समिति निधि का अकुशल वित्तीय प्रबन्धन बारे | |
| 2 | पैरा 7 | निर्णीत | दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹24.46 लाख की शेष वसूली | पैरा पुनः प्रारूपित। |
| 3 | पैरा 8 | निर्णीत | मण्डी शुल्क की बकाया ₹4.30 लाख की वसूली | पैरा पुनः प्रारूपित। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | हेतु शेष पाया जाना | |
| 4 | पैरा 9 | निर्णीत | लाईसैन्सधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.16 तक ₹7.72 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना | वित्तीय वर्ष 2016–17 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित |
| 5 | पैरा 10 | निर्णीत | लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹3.90 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना | वित्तीय वर्ष 2016–17 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित |
| 6 | पैरा 11 | अनिर्णीत | उप मण्डी भून्तर में प्राप्त मण्डी शुल्क ₹1.01 लाख को मण्डी समिति खाते में जमा न करना | |
| 7 | पैरा 12 (क से ङ) | अनिर्णीत | उप मण्डी भून्तर में मण्डी शुल्क की वसूली में पाई गई विभिन्न अनियमितताऐं। | |
| 8 | पैरा 13 | निर्णीत | नाका चौकी लुहरी में वसूले गए कम्पाउंड शुल्क की ₹0.11 लाख को बैंक में कम जमा करवाया जाना | उक्त राशि को दिनांक 25.10.16 को स्टेट बैंक लुहरी में जमा करवा दिया गया है। |
| 9 | पैरा 14 | अनिर्णीत | उप मण्डी बन्जार की वर्ष 2015–16 की आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना | |
| 10 | पैरा 15 | अनिर्णीत | हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियमित तौर पर वाहन को कार्याधिकारी क्षेत्र में | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | बाहर ले जाने के सन्दर्भ में |
| 11 | पैरा 16 | अनिर्णीत | डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹41.90 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना |
| 12 | पैरा 17 | अनिर्णीत | विभिन्न बिलों में से स्थल ₹0.47 लाख की कटौती करने बारे । |

**अनिर्णीत पैरों का सार**

| | |
|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 139 |
| वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरे | 10 |
| वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरा | 38 |
| अन्तशेष | 111 |